क्रमिक टिप्पणी

1. विषयः– उनवानी प्रकरण सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर बनाम अशोक कुमार नामा में शास्ति राशि 20000/– रूपये का डी. डी. जमा कराने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि अदालत हाजा के मु.नं. 6/14 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम अशोक कुमार नामा में अदालत हाजा द्वारा दिनांक 13.03.18 को निर्णय पारित कर अप्रार्थी पर 50000/– पचास हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गयी थी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण,जयपुर (राजस्थान) के यहाँ अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें उनके द्वारा दिनांक 11.07.18 को निणर्य पारित कर अदालत हाजा के 50000 रूपये शास्ति को 30000 हजार रूपये माफ करते हुये 20000/– बीस हजार रूपये की शास्ति कायम की गयी है।

माननीय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण जयपुर के आदेश दिनांक 11.07.18 की पालना में अप्रार्थी श्री अशोक कुमार नामा को अधिरोपित शास्ति राशि 20000/– बीस हजार रूपये जमा कराने हेतु न्यायालय के पत्रांक 5511 दिनांक 29.08.18 को पत्र लिखा गया। उक्त पत्र की पालना में अप्रार्थी द्वारा 20000/– बीस हजार रूपये की राशि का डी.डी. यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया डी.डी. नम्बर 337960 दिनांक 10.09.18 प्रस्तुत किया गया है।

अतः आदेश हो तो उक्त डी.डी. कैशियर कलेक्ट्रेट हाजा को जमा कराने हेतु जरिये यू.ओ.नोट भिजवाया जावें। सहमति की आशा में तैयार किया गया स्वच्छ यू.ओ.नोट अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

11.9.18

(इन्दर सिंह)
सहायक प्रशासनिक
ए0डी0एम0 कोर्ट,स.मा.

ए0डी0एम साहब

11.9.18